मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2575
09.03.2026 को उत्तर के लिए

बीड जिले में नगरीय वन

2575. **श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि महाराष्ट्र का बीड जिला सूखाग्रस्त जिला है जहां भू-जल स्तर में गिरावट, सीमित हरित आवरण और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल गंभीर प्रभाव हैं।

(ख) यदि हां, तो नगर वन योजना के अंतर्गत बीड जिले में अब तक कितने नगरीय बनों को अनुमोदित, विकसित या प्रस्तावित किया गया है।

(ग) ऐसे अनुमोदित अथवा प्रस्तावित नगरीय वनों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान प्रगति क्या है और इन्हें पूरा करने की समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या सरकार का पर्यावरणीय संतुलन, वर्षा वृद्धि और जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बीड जिले को विशेष प्राथमिकता वाली श्रेणी में शामिल करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावित कार्य योजना, वित्तीय उपबंधों और कार्यान्वयन एजेंसियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क)से(ङ): पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां जैसे पानी की कमी, सीमित हरियाली क्षेत्र और मौसम में बदलाव देश के कई जिलों को प्रभावित करती हैं। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार के

कार्यक्रमों के माध्यम से वनीकरण और पारिस्थितिक बहाली के विभिन्न कार्यकलाप किए जाते हैं, जो पर्यावरणीय चुनौतियों को कम करने में योगदान करती हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष (कैम्पा) से वित्तीय सहायता के साथ वन विभाग, नगर निगमों, नगर पालिकाओं और अन्य शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से शहरी वनों के निर्माण और विकास के लिए नगर वन योजना को की एक मांग-संचालित योजना है, को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत राज्य सरकारों से शहरी वनों के विकास के लिए प्राप्त प्रस्तावों को मंत्रालय द्वारा निहित योजना दिशानिर्देशों और उपयुक्त भूमि तथा राशि की उपलब्धता के अनुसार विचार किया जाता हैं। इस योजना का उद्देश्य शहरी हरियाली क्षेत्रों को बढ़ाना, जैव विविधता का संरक्षण करना और शहरी निवासियों को पारिस्थितिक, सुखकर और शैक्षिक लाभ प्रदान करना है। हालांकि, बीड जिला में इस योजना के तहत शहरी वन की मंजूरी के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, इस मंत्रालय के पास पर्यावरण संतुलन, वर्षा वृद्धि और जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विशेष प्राथमिकता श्रेणी का कोई कार्यक्रम नहीं है।

*****